

प्रकरण संख्या 10/2019

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर	हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति खिंयाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर	बावरी निवासी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक 06.07.2022

1—जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति बावरी निवासी खिंयाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति बावरी निवासी खिंयाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर क्षेत्र में शराब बेचने का आदी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल शराब बेचने के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल शराब बेचने की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कर्तेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2—सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 20-09-2019 को श्री महेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 17.03.2021 को जवाब पेश किया। गवाह धाराराम सेवानिवृत एएसआई, रामदेवाराम एएसआई, ओमप्रकाश सेवानिवृत हैड कानि 928 तथा छोटूराम सेवानिवृत हैड कानि. 404 के बयान कलमबद्ध करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.07.2022 को गैर सायल ने जवाब पेश कर अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4.08.2005 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.08.2005 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.06.2014 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2014 की फोटोप्रति, चार्जशीट नम्बर 62 दिनांक 30.06.2014 की फोटोप्रति, न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जायल के प्रकरण संख्या 91/2014 निर्णय दिनांक 07.10.2014 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.02.16 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.02.16 की फोटोप्रति, चार्जशीट नम्बर 09 दिनांक 17.02.16 की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जायल के निर्णय दिनांक 23.06.16 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.02.19 की फोटोप्रति, रोजनामचा दिनांक 27.03.19 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.02.2019 की फोटोप्रति, चार्जशीट नम्बर 06 दिनांक 25.02.2019 की फोटोप्रति पेश की गई।



3-गैर सायल व उसके अधिवक्ता को सुना गया। परिवारी द्वारा अपने इस्तेमाल में कथन किया गया कि हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति बावरी निवासी खियाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर का निवासी है। जो शराब बेचने पर बार-बार दस्तायाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये है, गैर सायल शराब बेचने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 2005 से 2019 तक शराब बेचने की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दशहृत व आतक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में रवच्छंद विचरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। गैर सायल हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति बावरी उम्र 50 निवासी खियाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4- पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है-

2 (ख) "गुण्डा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो :-

1. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अधीन दण्डनीय अपराधों का कमीशन अभ्यासतः कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, अथवा
2. महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्याक 104) के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक -11) के अधीन दो से अन्वून बार दोषसिद्ध किया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन दो से अन्वून बार दोषसिद्ध किया गया हो, अथवा
5. राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्याक 48) के अधीन दो से अन्वून बार दोषसिद्ध किया गया हो, अथवा
6. महिलाओं या लड़किया को अभ्यासतः अश्लिष्ट टिप्पणी करता या छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिन्नासित करने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो उनो या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी दो या जो व्यक्तिगो अथवा सम्पत्ति कां सत्राश, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो।
- 5-पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ कि गैर सायल आदतन शराब बेचने का आदी प्रतीत होता है। जो धारा 2(ख) के अनुसार 3 बार दोष सिद्ध किया जा चुका है तथा अपने अवैध आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को सत्राश, खतरा या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अभिन्नासित अपराधी होने से राज. गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैर सायल के उक्त कृत्यों से नागौर व आस-पास के क्षेत्र में दहशत व आतक फैला हुआ है।

अतः गैर सायल का जिला नागौर में स्वच्छन्द विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं होने से इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही उचित है।

आदेश

हरीराम पुत्र अर्जुनराम जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी खियाला पुलिस थाना जायल जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं जिला चुरू के सुजानगढ थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को दें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर / चुरू को भिजवाई जावे।

6-निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नागौर (राजस्थान)